इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
क्षेत्रीय केन्द्र सहरसा
नया बाजार, सहरसा–852201

दूरभाषः 06478.219015, ईमेल-rcsaharsa@ignou.ac.in

फां.सं.–इग्नूं/क्षे.के.–86/बी.एड्. 15/2014/
दिनांकः 27 नवम्बर, 2014

विषयः इग्नू बी.एड्. पाठ्यक्रम 2015 में काउंसलिंग के माध्यम से उपलब्ध स्थानों को भरने हेतु।

प्रिय अभ्यर्थी,

इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र सहरसा बी.एड्. पाठ्यक्रम 2015 के लिए उपलब्ध स्थानों हेतु कागंसलिंग निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार कराने जा रहा हैः–

दिनांक	समय	स्थान	अभ्युक्ति
11 दिसम्बर, 2014	पूर्वाह्न 10:00 बजे	इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, सहरसा नया बाजार, सहरसा–852201 बिहार	1. प्रवेश हेतु बुलावा पूर्णतः औपबंधिक (Provisional) है एवं सीटों की उपलब्धता तथा अंतिम जाँच (Scrutiny) पर निर्भर करेगा। दस्तावेजों एवं ड्राफ्ट को जमा करने मात्र से प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। 2. अभ्यर्थियों के मेरिट के अंक समान होने पर विश्वविद्यालय के नियमानुसार अभ्यर्थन (Candidature) का निर्धारण किया जाएगा।

अतः आप व्यक्तिगत रूप से उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित होकर निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ एवं जांच हेतु **मूल प्रतियाँ** प्रस्तुत करें ताकि प्रवेश हेतु आपके अभ्यर्थन (Candidature) पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं सहरसा क्षेत्रीय केन्द्र अन्तर्गत अध्ययन केन्द्र में उपलब्ध स्थानों के आधार पर विचार किया जा सके :–

1. हाईस्कूल अंकपत्र (Marksheet) एवं प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रतियाँ एवं मूल प्रतियाँ।
2. स्नातक तथा स्नातकोत्तर के अंकपत्र की प्रमाणित छाया प्रतियाँ एवं मूल प्रतियाँ।
3. अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ (Original) तथा प्रमाणित छाया प्रतियाँ भूतपूर्व सभी स्कूलों के लिये।
4. रोजगार प्रमाण–पत्र (Employment Certificate) की मूल प्रति वर्तमान स्कूल द्वारा 'प्रवेश निर्देशिका' में दिए गए प्रारूप के अनुसार।
5. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विद्यालय को जारी किए गये मान्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रतियाँ (शासकीय स्कूल को छोड़कर) उन सभी वर्षो के लिए जिनका अनुभव आपके द्वारा दर्शाया गया है।
6. मूल प्रवेश परीक्षा पत्र (IGNOU- BED Entrance Admit Card in original)
7. अभ्यर्थी एवं अभिभावक द्वारा रैगिंग नहीं करने से संबंधित मूल शपथ–पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित 10 रू0 के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, प्रवेश निर्देशिका में दिए गए प्रारूप के अनुसार (अनुलग्नक 2 एवं 3)।
8. सेकेण्डरी/सीनियर सकेण्डरी स्कूल द्वारा बी.एड. प्रायोगिक कार्य हेतु शिक्षण व्यवस्था अनुमति दिये जाने हेतु मूल प्रमाण पत्र (अनुलग्नक–4 में दिये गये प्रारूप के अनुसार)।
9. रू. 20,000/–(रूपये बीस हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट इग्नू (IGNOU) के नाम पर सहरसा में देय हो।
10. वर्तमान की एक पासपोर्ट साइज की फोटो।

आरक्षित स्थान के अन्तर्गत नामांकन का दावा करने वाले अभ्यथियों के लिएः–

11. जाति प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ी जाति–नॉन क्रीमीलेयर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये) की मूल प्रति एवं प्रमाणित छायाप्रति।
12. अन्य पिछड़े वर्ग (नान क्रीमीलेयर) के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थी : ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनकी काउंसिलिंग अन्य पिछड़े वर्ग (नान क्रीमीलेयर) के अन्तर्गत होनी है, उन्हें तीन वर्ष के अन्दर संबंधित पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर) व आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (प्रवेश निर्देशिका के अनुसार) ।
13. विकलांग श्रेणी के लिये विकलांगता प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं प्रमाणित छायाप्रति।

उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने अपना नाम हाईस्कूल उर्त्तीण करने के बाद परिवर्तित किया है उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्यतः जमा करना होगाः–

14. नोटरी द्वारा प्रमाणित किया गया शपथ–पत्र जिसमें आपका बदला हुआ नाम उल्लेखित हो।
15. दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना की मूल प्रति नाम/उपनाम, परिवर्तित होने संबंधित।
16. नाम/उपनाम परिवर्तन को दर्शाती हुई गजट अधिसूचना।
17. विवाह के कारण परिवर्तित उपनाम (Surname) की स्थिति में रजिस्ट्रार (विवाह) के द्वारा जारी किया गया विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

ज्ञातव्य हो कि अतिथि/अंशकालिक/अवैतनिक शिक्षक विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश के पात्र नहीं होंगे तथा अभ्यर्थी का शिक्षण अनुभव मान्यता प्राप्त/सरकारी स्कूल में 15 जुलाई, 2014 को 2 वर्ष अवश्य पूर्ण होना चाहिये एवं उसे वर्तमान में भी कार्यरत होना चाहिये। काउंसलिंग अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको की मेरिट के अनुसार घटते क्रम में होगी। यदि कोई अधिक अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होता है या अनिवार्य दस्तावेजों एवं निर्धारित शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट काउंसलिंग के दिन प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह स्थान मेरिट में उपस्थित दूसरे अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा। अतः निश्चित समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर निर्धारित प्रमाण पत्र एवं शुल्क जमा करें अन्यथा आपका अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जाएगा।

ज्ञात रहे कि काउंसेलिंग के समय एवं दिनांक में किसी भी प्रकार का विस्तार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। साथ ही साथ विश्वविद्यालय काउंसेलिंग पत्र के डाक द्वारा विलंब से पहुँचने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

यह बुलावा पत्र औपबंधिक है तथा आवेदन पत्र के साथ आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों पर आधारित है। यदि भविष्य में जांच कराये जाने पर योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र असत्य पाए गए तो आपका प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाएगा तथा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी एवं विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।

(डॉ0 शम्भु शरण सिंह)
क्षेत्रीय निदेशक